

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ. 3 (ख) प्रशिक्षण/अलेसे-11/ 9616-9628

दिनांक 31 मई 2013

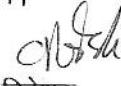
कार्यालय आदेश

निम्नांकित लेखाकारों को उनके नाम के सम्मुख अंकित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र ह.च.मा. राज. लोक प्रशासन संस्थान में दिनांक 3.6.2013 से आयोजित 16 सप्ताह के आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु मनोनीत किया जाता है:-

क. स.	मेरिट नम्बर	नाम कर्मचारी सवश्री	वर्तमान पदस्थापन विभाग	आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र
1.	149	किशन कुमार व्यास	सरदार पटेल मेडिकल कालेज बीकानेर	क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र ह.च.मा. राज. लोक प्रशासन संस्थान बीकानेर
2.	53	कमलेश कुमार शर्मा	पंचायत समिति, भीम जिला राजसमन्द	क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र ह.च.मा. राज. लोक प्रशासन संस्थान जोधपुर
3.	347	रामनिवास सुण्डा	उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला परिषद, प्रतापगढ़	क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र ह.च.मा. राज. लोक प्रशासन संस्थान जोधपुर
4.	22	रवि प्रकाश शर्मा	पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द	क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र ह.च.मा. राज. लोक प्रशासन संस्थान बीकानेर

उक्त प्रशिक्षण पूर्णतः गैर आवासीय है अतः प्रशिक्षार्थी को प्रशिक्षण स्थल पर ठहरने आदि की व्यवस्था अपने स्तर पर करनी होगी। सभी लेखाकारों को नियुक्ति आदेश में उल्लेखित शर्तों के अधीन यह प्रशिक्षण प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।

प्रशिक्षण समाप्ति पर उपरोक्त सभी लेखाकार अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालयों में उपस्थिति देंगे।

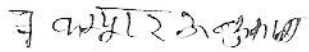

निदेशक

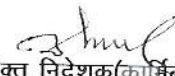
क्रमांक:- एफ. 3 (ख) प्रशिक्षण/अलेसे-11/ 9616-9628

दिनांक 31 मई 2013

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, ह.च.मा.रीपा लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर
2. संयुक्त निदेशक, ह.च.मा.रीपा बीकानेर/ जोधपुर/ उदयपुर कृपया उपरोक्त लेखाकारों एवं कनिष्ठ लेखाकारों की प्रशिक्षण में उपस्थिति की सूचना से इस विभाग को अवगत करावें।
3. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्षको प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया सम्बन्धित लेखाकार को उक्त आधारभूत प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त कर इस विभाग को अवगत करावें।
4. श्री लेखाकार विभाग/ कार्यालयको प्रेषित कर लेख है कि उनके नाम के सम्मुख अंकित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र ह.च.मा. रीपा लोक प्रशासन संस्थान परिसर में आयोजित आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थिति हों एवं उपस्थिति की सूचना अविलम्ब भिजवायें।
5. निजी सहायक निदेशक, महोदय
6. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली




अतिरिक्त निदेशक(कार्यालय-1)